राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : 01

दिनांक : 8-4-2011

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, मेडिकल रिलीफ सोसायटी तथा Employees State Insurance (ESI) अस्पतालों व आमजन के लिए दवायें तथा चिकित्सा उपकरणों के क्रय, विक्रय एवं वितरण हेतु कुशल प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये **"राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड"** का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत निगम के रूप में किया जा रहा है। उपरोक्त निगम राजस्थान सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम होगा। इस हेतु निम्न संचालन मण्डल का गठन अनुमोदित मंत्रीमण्डल ज्ञापन के अनुसार किया गया है।

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण — अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा — सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव, (आयुर्वेद) — सदस्य
4. शासन सचिव, वित्त (व्यय) — सदस्य
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन — सदस्य
6. निदेशक, सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो — सदस्य
7. निदेशक, जन स्वास्थ्य — सदस्य
8. निदेशक, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य — सदस्य
9. निदेशक, एड्स/अस्पताल प्रशासन — सदस्य
10. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य — सदस्य
11. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन — सदस्य
12. औषधि नियंत्रक, राजस्थान — सदस्य
13. प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (निगम के पूर्णतः सक्रिय स्थिति में आने तक मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) — सचिव

निगम के परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त कार्य जो कि आवश्यक एवं उचित हो, संचालक मंडल द्वारा सम्पादित किये जायेंगें एवं उपरोक्त हेतु समस्त शक्तियॉं मण्डल में निहित होंगी।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :

1. संचालक मण्डल के सदस्यों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर